वाराणसी, बुधवार
12 फरवरी 2020
नगर संस्करण
मूल्य ₹ 6.00
पृष्ठ 20

दैनिक जागरण

PAGE NO. 3 : MIDDLE

पढ़ाई में अव्वल होंगे तो मिलेगी छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति

राब्यू, लखनऊ : निर्धन परिवारों के छात्र-छात्राओं को यदि छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति चाहिए तो उन्हें पढ़ाई में अव्वल आना होगा। प्रदेश सरकार एससी, एसटी व सामान्य वर्ग के उन छात्र-छात्राओं को ही दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करेगी जो काबिलियत के दम पर संस्थानों व कॉलेजों में दाखिला पाएंगे। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेश पाने वाले छात्र-छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही उन निजी विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा जिनकी नैक ग्रेडिंग बी या ऊपर होगी।

आवेदन के लिए आधार नंबर जरूरी, होगा प्रमाणीकरण

समाज कल्याण विभाग ने वर्ष 2020-21 से छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है। आधार नंबर ही नहीं बल्कि इसके प्रमाणीकरण के बाद ही आवेदन पत्र अग्रसारित किए जाएंगे। यानी आधार कार्ड में दर्ज विवरण नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि हाईस्कूल में दर्ज विवरण से मिलना जरूरी है। इसके बगैर फार्म अग्रसारित नहीं किया जाएगा।